न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2011

गणेशराम बनाम जोधाराम आदि

प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 26.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2004 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2004 को पारित अन्तिम डिक्री के विरूद्व एक ही अपील विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जबकि दो डिक्रीयों के विरूद्व एक अपील प्रस्तुत किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है तथा दो डिक्री की एक अपील विधि द्वारा वर्जित है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि मे यह स्वीकृत तथ्य है कि प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की अपील सहवन से एक साथ प्रस्तुत हो चुकी है। न्यायहित एवं गुणावगुण पर निर्णय के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये नये सिरे से पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की अपील पृथक–पृथक प्रस्तुत की जानी चाहिए। दोनो डिक्रीयों की एक साथ अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट विधिक बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। न्यायहित एवं गुणावगुण पर निर्णय के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट को नये सिरे से पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर